अनुवाद
अत्यावश्यक

मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.रोड, नई दिल्ली–110002

संख्या: डी–12/16/1/12–स्था.–6 दिनांक: 09.06.2015.

सेवा में,

बीमा आयुक्त(रा.प्र.अकादमी), सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
नि.(चि.)दिल्ली/नि.(चि.)नोएडा/वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल/व्यावसायिक रोग केन्द्र/संकायाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं, संयुक्त निदेशक–5, मुख्यालय ।

विषय:– क.रा.बी. निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु एकबारगी अवसर ।
संदर्भ :– मुख्यालय का समसंख्यक स्पष्टीकरण दिनांक 13/1/06,1/6/06, 15/12/06, 1/3/07, 7/1/08, 27/5/2008, 25/8/08, 25/3/09, 1/7/09, 7/1/10, 26/8/10, 1/11/2010, 7/4/2011, 24/05/2011 तथा 11/10/2012 .

महोदय,

मुझे उपर्युक्त संदर्भों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि क.रा.बी. निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना 01.04.2006 से लागू हुई तथा क.रा.बी. निगम–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना–2006 के अंतर्गत नामांकन हेतु अंतिम तिथि 30.06.2011 तक थी । योजना अनुसार यदि कोई क.रा.बी. निगम–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना का सदस्य बनना चाहता/चाहती हैं तो पेंशनभोगी को अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन करना अपेक्षित है ।

क्षेत्रीय निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक तथा ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के माध्यम से पेंशनभोगियों के अभ्यावेदन मुख्यालय प्राप्त हो रहे है जिनमें यह निवेदन किया गया है कि कुछ कारणों से वे क.रा.बी. निगम–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना में शामिल नहीं हो सके, अतः अब उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए ।

महानिदेशक ने मानवीय आधार पर आवेदनों पर विचार करते हुए क.रा.बी. निगम–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के नियम 10 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन पेंशनभोगियों को दिनांक 10.06.2015 से 31.08.2015 तक इस योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु एकबारगी अवसर प्रदान किया है जो पहले इस योजना के अंतर्गत नामांकन नहीं करा सके ।

आपसे अनुरोध है कि इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करवाएं तथा नामांकन हेतु बढ़ाई गई अवधि के इस अवसर का उल्लेख करते हुए इसका व्यापक प्रचार करें ।

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

13/6/15
(पी.के. [illegible])
संयुक्त निदेशक,स्था.2

Desktop/rajbhasha/e-2962015/[illegible]